

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

(न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम)
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प

पीठासीन अधिकारी श्री. विश्वामोहि श्रीवास्तव

वीरसेठ उनवान चन्दर सिंह बनाम

दावा बाबत:- 188
 मुकदमा नम्बर:- 52/12
 निर्णय दिनांक:- 21.5.18

वादी की ओर से कार्यकर्ता की व प्रतिवादी की ओर से
 की उपस्थिति में आज तारीख को (नाम पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अन्तिम
 निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है ओर डिग्री दी जाती कि - विवाह के आदेशों द्वारा पंजीकृत
500/0-02 विस्था वाके जगज्ज प्रकडवा तदसीन कोटकासिम में जारी कर
डिग्री विस्था जगज्ज प्रतिवादी जगज्ज को हुना अन्तिम विवाह के आदेशों द्वारा पंजीकृत
जगज्ज के माफे को शशास्त्रों से बनाये पुराने

खर्चा पक्षकारन अपना-अपना वहन करेंगे ।
 यह आज तारीख 21.5.18 को मौ हस्ताक्षर से ओर न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

By
 (विश्वामोहि श्रीवास्तव)

पीठासीन अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी	
	रूपया	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		
4.रूपये पर प्लीडर के फीस		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
5. साक्षियों को लिए निर्वाह - व्यय		अर्जी के लिए स्टाम्प
6. कमिश्नर की फीस		प्लीडर के फीस
7. आदेशिका की तामिल		साक्षियों को लिए निर्वाह - व्यय
		आदेशिका की तामिल
		कमिश्नर की फीस
<u>जोड</u>		<u>जोड</u>

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, काटकासिम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पी. ओ०

12/2/18 को अन्वय - पा. ए. / 30/4/18 को
पेश की गई

20/4 पत्रावली पेश हुई। बकुलाच प. ए.
आइन्दा पत्रावली कैम्प कोर्ट/ लोक अदालत
में दिनांक 21/5 को पेश हो।

एस डी आर सिडर

21/5 पत्रावली का अन्वय में पेश हुई। पत्रावली का
सिद्धि किया जाता है। सिद्धि पत्रावली पेशावली
पत्रावली किया गया। पत्रावली को अन्वय अन्वय
अन्वय ले कर के तथा अन्वय अन्वय अन्वय
है।